रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266715
CG-DL-E-06102025-266715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4407] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947
No. 4407] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

का.आ. 4535(अ).— जबकि मेसर्स सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम), जिसका पंजीकृत कार्यालय 6वीं मंजिल, प्लेट-बी, एनबीसीसी ऑफिस ब्लॉक टॉवर-2, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली 110023, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "राँची झारखंड में गेतलसूद जलाशय में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर संयंत्र के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. No. 25-17/34/2025-PG दिनांकित 11.04.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "राँची झारखंड में गेतलसूद जलाशय में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर संयंत्र के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों प्रभात ख़बर (हिन्दी में) दिनांक 23.04.2025, दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 24.04.2025, राँची एक्सप्रेस (हिन्दी में) दिनांक 24.04.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 10.05.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके बाद, मेसर्स सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 02.09.2025 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "राँची झारखंड में गेतलसूद जलाशय में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर संयंत्र के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. गेतलसूद बांध- 132/33 के. व्ही. इरबा उपकेंद्र (झा.ऊ.सं.नि.लि.) 132 के. व्ही. डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन झारखंड के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्र. सं.	गाँवों के नाम	तहसील / तालुका	जिला
1	गेतलसूद, बूकी, बनादाग, पैलादा (नगड़ाबेड़ाडेगाडेगी), हेसातू	अनगड़ा	राँची

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइन का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/59/2025-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 30th September, 2025

S.O. 4535(E).— Whereas M/s Solar Energy Corporation of India Limited (A Government of India Enterprise) having its registered address at 6th Floor, Plate-B, NBCC Office Block Tower-2, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "transmission system for providing connectivity to M/s Solar Energy Corporation of India Limited for Evacuation of Power from 100 MW Floating Solar PV Plant at Getalsud Dam, Ranchi, Jharkhand)".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. No. 25-17/34/2025-PG dated 11.04.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme "transmission system for providing connectivity to M/s Solar Energy Corporation of India Limited for Evacuation of Power from 100 MW Floating Solar PV Plant at Getalsud Dam, Ranchi, Jharkhand".

M/s Solar Energy Corporation of India Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Prabhat Khabar (in Hindi) dated 23.04.2025, The Times of India (in English) dated 24.04.2025, Ranchi Express (in Hindi) dated 24.04.2025 and in Weekly Gazette of India dated 10.05.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Solar Energy Corporation of India Limited has submitted an affidavit dated 02.09.2025 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication in the official gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "transmission system for providing connectivity to M/s Solar Energy Corporation of India Limited for Evacuation of Power from 100 MW Floating Solar PV Plant at Getalsud Dam, Ranchi, Jharkhand". The following overhead line is covered under this scheme:

1. Getalsud Dam Site- 132/33kV IRBA Substation (JUSNL) 132kV Double Circuit Transmission Line

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Jharkhand:

Sl. No	**Name of Villages**	**Tehsil / Taluka**	**District**
1.	Getalsud, Buki, Banadag, Pailada (Nagraberadegadegi), Hesatu	Angara	Ranchi

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Solar Energy Corporation of India Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Solar Energy Corporation of India Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/59/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.06 22:44:13 +05'30'